



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13052025-263055  
CG-DL-E-13052025-263055

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2056]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 9, 2025/वैशाख 19, 1947

No. 2056]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 9, 2025/VAISAKHA 19, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2025

का.आ. 2101(अ).— केंद्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ४८) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ क की उपधारा (१) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ.५२३१ (अ) तारीख ०४ दिसंबर २०२४ जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-२, खंड-३, उपखण्ड (ii), में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य चंद्रपूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग ९३० के कि.मी.२४९ +३६४ से कि.मी.२५० +०८४ (सब डीविजनल ऑफिस चंद्रपूर) तक के भूखंड में निर्माण (चौड़ाकरण/पेव्ह शोल्डर सहित २- लेन / ४- लेन का बनाना, आदि) अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा ३ क की उपधारा (३) के अधीन “चंद्रपूर समाचार” (मराठी) तारीख को १५/०२/२०२५ और “चंद्रपूर सप्ताह” (मराठी) तारीख को १६/०२/२०२५ में प्रकाशित किया गया था ;

जबकी सक्षम प्राधिकारी को धारा ३-ग के तहत दायर आपत्ती प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (१) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (२) के अनुसरण में, यह घोषणा करता हूँ कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

### अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ९३० के मूल – चंद्रपूर कि.मी. २४९ + ३६४ से कि.मी. २५० + ०८४ (सब डीविजनल ऑफिस चंद्रपूर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: चंद्रपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: चंद्रपुर					
गांव का नाम: अजयपूर					
1	११४	निजी	कृषि	0.068	कपिल गजानन गेडाम 114
2	११५/१	निजी	गैरकृषि	0.0325	सुनिता बारीकराव मडावी 115/1
3	११५/२	निजी	गैरकृषि	0.065	सुनिता बारीकराव मडावी 115/2
4	११५/३	निजी	गैरकृषि	0.0265	सुनिता बारीकराव मडावी 115/3
Total				0.192	

[फा. सं. RO/MUM/NH(O)/2022-23/47/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

### MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2025

**S.O. 2101(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways number **S.O.5231 (E) dated 04 Dec 2024**, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for **building (widening /two lane with paved shoulder/four-lane,etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 930 in the stretch of land Km 249+364 to km 250+084 (Sub Divisional Office Chandrapur) in the District of Chandrapur in the state of Maharashtra.**

And whereas the substance of the said notification **S.O. 5231 (E) dated 04 Dec 2024**, has been published in “**Chandrapur Samachar**”(Marathi) Dated **15/02/2025** and “**Chandrapur Sannata**” (Marathi) Dated **16/02/2025** ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections filed under section 3-C, Considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

State: MAHARASHTRA			District: CHANDRAPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Chandrapur					
Village: Ajayapur					
1	114	Private	Agriculture	0.068	Kapil Gajanan Gedam 114
2	115/1	Private	Non-Agriculture	0.0325	Sunita Barikrao Madavi 115/1
3	115/2	Private	Non-Agriculture	0.065	Sunita Barikrao Madavi 115/2
4	115/3	Private	Non-Agriculture	0.0265	Sunita Barikrao Madavi 115/3
Total				0.192	

[F. No. RO/MUM/NH(O)/2022-23/47/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director